

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

विजय रंजन,
संयुक्त निदेशक (मु०),
समाज कल्याण विभाग।

1288
20.1.20



सेवा में,

बिहार, पटना

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 17.1.2020

विषय: सुरक्षित स्थान, शेखपुरा के क्षतिग्रस्त चाहरदीवारी निर्माण कार्य हेतु कुल 7,25,900/- (सात लाख पच्चीस हजार नौ सौ) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्यालय, जिला बाल संरक्षण इकाई, शेखपुरा के पत्रांक 623 दिनांक 23.12.2019 द्वारा संसूचित जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के पत्रांक 604 दिनांक 02.12.2019 के साथ संलग्न कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, शेखपुरा द्वारा प्राप्त अनुमोदित तकनीकी प्राक्कलन के आलोक में शेखपुरा जिला में संचालित सुरक्षित स्थान, शेखपुरा के क्षतिग्रस्त चाहरदीवारी के निर्माण कार्य हेतु कुल 7,25,900/- (सात लाख पच्चीस हजार नौ सौ) रुपये मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


- स्वीकृत राशि का आवंटन प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा संबंधित भवन प्रमण्डल को प्रदान किया जायेगा।
- आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा विनिर्दिष्ट/प्राधिकृत कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल होंगे।
- भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आवंटन की सीमा तक राशि की निकासी नियमानुसार संबंधित कोषागार से की जायेगी।
- राशि की निकासी माँग सं०-03 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-051-निर्माण-0104-समाज कल्याण से संबंधित विभिन्न भवनों के निर्माण अन्तर्गत विषय शीर्ष 0104.53.01-मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध योजना उद्व्यय/बजट उपबंध से विकलनीय होगा।
- स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998, 2398/वि० दिनांक 08.04.2008, 3758/वि० दिनांक 31.05.2017, 378/वि० दिनांक 16.01.2018, 354/वि० दिनांक 28.03.2018, 662/वि० दिनांक 02.08.2018 तथा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।
- प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

३०/

(विजय रंजन)


संयुक्त निदेशक (मु०),



17/1/2020
17-1-20

ज्ञापक :- सं०सं०-10/प्र०गृ०-03/2019/०५/ पटना, दिनांक 17.11.2020

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/सचिव, बिहार अधिकार संरक्षण आयोग, पटना/जिला पदाधिकारी, शेखपुरा एवं सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


संयुक्त निदेशक (मु०),
समाज कल्याण विभाग।